प्रपत्र -6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेड़ाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 12 में मेरा नाम नाथु अंकित है लेकिन सही नाम नाथुलाल है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः– 25/11/21

(नाथुलाल)

रिपोर्ट--पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेड़ाराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 12 में प्रार्थी का नाम नाथु दर्ज है। जबंकि मुताबिक संलग्न आधार व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नाथुलाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 [signature] 10/12/2021

पटवारी [signature] 08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी [signature] व भू0अ0नि0 [signature] एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम खेड़ाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 12 में प्रार्थी का नाम नाथु के बजाय नाथुलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

[signature] 13/12/2021

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

14 9 4/21
प0म0 13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेड़ाराजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 12 में दर्ज प्रार्थी का नाम नाथु के स्थान पर नाथुलाल संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)

Scanned with CamScanner